

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक 76/तीन 16 1/2005

हरदा दिनांक 23/12/2022

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जिला न्यायालयों हेतु घोषित शीतकालीन अवकाश अवधि दिनांक 22.12.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि में इस न्यायिक जिला स्थापना के न्यायिक अधिकारीगण का निम्नानुसार शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	शीतकालीन अवकाश अवधि	कुल दिवस	मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी
1	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), एस.सी./एस.टी. एक्ट, हरदा	दिनांक 28.12.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक कुल 04 दिवस, दिनांक 27.12.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 02.01.2023 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	04 दिवस	1. श्री राजेन्द्र सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा 2. श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा
2	श्री दिनेश कुमार सिंह, तृतीय अपर जिला/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, हरदा	दिनांक 29.12.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक कुल 03 दिवस, दिनांक 28.12.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 02.01.2023 के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	03 दिवस	
3	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक 23.12.2022 एवं 24.12.2022 कुल 2 दिवस, दिनांक 22.12.2022 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 26.12.2022 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	02 दिवस	1. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), हरदा 2. श्री दिनेश कुमार सिंह, तृतीय अपर जिला/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, हरदा
4	श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक 22.12.2022 से दिनांक 24.12.2022 तक कुल तीन दिवस, दिनांक 21.12.2022 के कार्यालय समय पश्चात से दिनांक 26.12.2022 के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	03 दिवस	
5	श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा	दिनांक 26.12.2022 से दिनांक 28.12.2022 तक कुल 03 दिवस, दिनांक 24.12.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 29.12.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	03 दिवस	1. श्री एस. के. भदकारिया, वतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा 2. श्रीमती कीर्ति दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा
6	श्रीमती कला रामरकर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खिरकिया जिला हरदा	दिनांक 30.12.2022 एवं 31.12.2022 कुल 02 दिवस का शीतकालीन अवकाश, दिनांक 29.12.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 02.01.2023 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर	02 दिवस	

रहने की अनुमति सहित।

- 7 श्रीमती अकिता शाही, प्रथम दिनांक 29.12.2022 से दिनांक 31. 03 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ 12.2022 तक कुल 3 दिवस का दिवस खण्ड, हरदा के न्यायालय के शीतकालीन अवकाश, दिनांक 28. अतिरिक्त न्यायाधीश, 12.2022 के न्यायालय समय पश्चात टिमरनी, जिला हरदा से दिनांक 02.01.2023 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
- 8 श्री एस0 के0 भदकारिया, दिनांक 29.12.2022 से दिनांक 31. 03 चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश 12.2022 तक कुल 03 दिवस, दिवस कनिष्ठ खण्ड, हरदा दिनांक 28.12.2022 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 02.01. 2023 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
- 9 श्री विनीत साकेत, द्वितीय दिनांक 26.12.2022 से दिनांक 28. 03 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ 12.2022 तक कुल 03 दिवस का दिवस खण्ड, हरदा शीतकालीन अवकाश, दिनांक 25. 12.2022 का पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ व मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
- 10 श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, दिनांक 26.12.2022 से दिनांक 28. 03 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश 12.2022 तक कुल 03 दिवस का दिवस कनिष्ठ खण्ड, हरदा शीतकालीन अवकाश, दिनांक 25. 12.2022 का पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ व मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
- 11 श्रीमती कीर्ति दुबे, न्यायिक दिनांक 29.12.2022 से दिनांक 31. 03 मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा 12.2022 तक कुल 03 दिवस का दिवस शीतकालीन अवकाश, दिनांक 28. 12.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 02.01.2023 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
- 1 श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
- 2 श्री विनीत साकेत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा
1. श्री एस. के. भदकारिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा
2. श्रीमती कीर्ति दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा
- 1 श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
2. श्री विनीत साकेत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा
- 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे
1. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
 2. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सहमति के आधार पर निष्पादित की जावेगी।
 3. शीतकालीन अवकाश प्रभार व्यवस्था, शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।
 4. शीतकालीन अवकाश अवधि में कोई भी मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है तब उस न्यायालय का कार्य जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।


यह आदेश शीतकालीन अवकाश अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
हरदा (MOPRO)

o/c

निर्देशानुसार प्रतिलिपि :-

1. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), (अ.जा./अ.ज.जा.) हरदा
2. श्री दिनेश कुमार सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
4. श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
5. श्री के० के० वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
6. श्रीमती कला भम्बरकर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खिरकिया जिला- हरदा
7. श्रीमती अंकिता शाही, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, टिगरनी, जिला हरदा
8. श्री एस. के. भदकारिया, वतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा /जिला रजिस्ट्रार, हरदा
9. श्री विनीत साकेत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा
10. श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा
11. श्रीमती ज्योति वरकडे, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टिगरनी, जिला हरदा
12. अक्षयक्ष, जिला अधिवक्ता रांध, हरदा/खिरकिया/टिगरनी, जिला हरदा
13. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
14. सांख्यिकीय लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
15. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायिक अधिकारीगण को ई मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किया जावे व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।


कृते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
हरदा (म०प्र०)

012